छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86 एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने वर्ष 2019–20 के लिये टैरिफ याचिका (03/2019(T)) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस याचिका में (i) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम ट्रुअप (ii) वर्ष 2017–18 के लिये अनंतिम ट्रूअप, (iii) वर्ष 2019–20 के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है जिसका सारांश नीचे तालिकाओं में दर्शाया गया है :–

क. वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतिम ट्रू–अप का सार

अ. क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	टैरिफ आदेश दिनांक 30.04.2016 में अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	823.49
2.	अनंतिम ट्रू–अप में अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	804.88
3.	ट्रू–अप याचिका में प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	786.07
4.	अंकेक्षित लेखा के अनुसार राजस्व वसूली	913.39
5.	वर्ष 2016–17 हेतु राजस्व कमी (4- 3)	127.32
6.	वर्ष 2014–15 के ट्रू–अप में एवं APTEL के अपील नं. 308/2013 में निर्णय के प्रभाव के समायोजन उपरान्त राजस्व कमी	89.90
7.	वर्ष 2016–17 हेतु surplus (5-6)	37.42
8.	कैरिंग कॉस्ट (@ of 12.8%) के साथ closing surplus	39.82

ख. वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनंतिम ट्रू–अप का सार

अ क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.2017	916.80
2.	वर्ष 2017–18 हेतु अनंतिम वार्षिक राजस्व आवश्यकता	793.22
3.	ट्रान्समिशन प्रभार से प्राप्त राजस्व (अनअंकेक्षित खाते के अनुसार)	813.59
4.	वर्ष 2017–18 हेतु राजस्व आधिक्य (3-2)	20.37
5.	Opening surplus for FY 2017-18	39.82
6.	वर्ष 2015–16 के ट्रू–अप उपरान्त राजस्व में आधिक्य	103.21
7.	वर्ष 2017–18 हेतु surplus (4+5+6)	163.40
8.	12.5% की दर से कैरिंग कॉस्ट को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2017–18 हेतु closing surplus	176.10
9.	12.5% की दर से कैरिंग कॉस्ट को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2018–19 हेतु closing surplus	198.11
10.	वर्ष 2018–19 में समायोजित राजस्व आधिक्य	29.98
11.	Opening surplus for FY2019-20 (8-9)	168.13
12.	12.5% की दर से कैरिंग कॉस्ट को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2019–20 हेतु closing surplus	178.64

ग. वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पुनरिक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

अ क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	टैरिफ आदेश दिनांक 30.04.2016 में अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1,026.62
2.	वर्ष 2019–20 हेतु surplus	178.64
3.	वर्ष 2019–20 हेतु सकल वर्षिक राजस्व आवश्यकता (1–2)	847.98

याचिका के अनुसार वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 के लिये राजस्व आधिक्य रू.37.42 करोड़ एवं रू.123.58 करोड़ क्रमशः अनुमानित है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका (अंग्रेजी) एवं सार संक्षेपिका (हिन्दी) की प्रतियां (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं (ii) कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं नियामक मामले), CSPTCL, डंगनिया, रायपुर में उपलब्ध हैं जिन्हें रू. 100/– अंग्रेजी प्रति तथा रू. 50/– हिन्दी प्रति के भुगतान के साथ किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। याचिका की प्रति उक्त भुगतान के साथ–साथ डाक व्यय के रूप में अतिरिक्त रू. 50/– के भुगतान से भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह आम सूचना, याचिका की प्रति एवं अनुगामी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रति (i) आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं (ii) CSPTCL की वेबसाईट www.cspc.co.in पर भी उपलब्ध रहेगी।

याचिकाकर्ता की उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेज सकते हैं।

(i) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन–492001, फैक्स–0771–4073553 एवं/या

(ii) कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं नियामक मामले), CSPTCL, डंगनिया, रायपुर पिन–492013, फैक्स–0771–2574698

सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण की अग्रिम प्रति ई–मेल द्वारा निम्नलिखित ई–मेल आई डी पर भी भेजा जा सकता है।

(i) cserc.sec.cg@nic.in,

(ii) cecnp.csptcl@cspc.co.in

विद्युत नियामक आयोग उपरोक्त याचिका पर सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से प्रकाशित करेगा।

बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है

कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं नियामक मामले),सीएसपीटीसीएल, रायपुर

Work Order No..................... dtd 27.01.19 Size 28x3